कीटनाशी लाईसेंस के शुल्क में संशोधन से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय गुजरात के अंतरिम आदेश दिनांक 03.03.2015 के निदेश के आलोक में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 (1968 का 46) की धारा 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नांकित निदेश जारी किया गया है।

''कीटनाशी अनुज्ञा शुल्क पुनरीक्षण से सम्बधित प्रावधान जो GSR (371)(E) दिनांक 20/05/1999 द्वारा अधिसूचित है के नियम 6A,6B,6(2),7(3),9(1),9(5),10(2),10(3A)(i),10(6) और 11(b)(i) और 14(2) के अधीन ,निदेश निर्गत की तिथि दिनांक 03.02.2016 से लागू किया गया है।

कीटनाशी, अनुज्ञा शुल्क (पुनरीक्षित) निम्न प्रकार होगा।

i	कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 9 (3) और 9 (3घ) के अधीन	रजिस्ट्रीकरण के आवेदन (विनिर्माण)	प्रत्येक मामले में पाँच इजार रूपये 5000/–
ii	कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 9 (4) के अधीन।	रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के मामले में (विनिर्माण)	दो हजार पाँच सौ रूपये। 2500/–
iii	उप नियम 6(क) के तहत।	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति के लिए	एक सौ रूपये के मांगदेय ड्राफ्ट।
iv	उप नियम 9(i) के तहत।	कीटनाशी के विनिर्माण के लिए (अनुज्ञप्ति मंजूरी या नवीकरण)	प्रत्येक कीटनाशी के लिए दो हजार (2000/–) एवं सभी कीटनाशी के लिए बीस हजार (20,000/–) रूपये
v	उप नियम 9 (5) के तहत।	अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के लिए।	एक सौ रूपये (100/–)
vi(क)	नियम 10 के उप नियम (2) के जगह उप नियम (1) के अधीन।	विक्रय, स्टॉक या प्रदर्शन करने के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क (नये अथवा नवीकरण)	प्रत्येक कीटनाशी के लिए पाँच रूपये (500/–) एवं सभी कीटनाशी के लिए अधिकतम फीस सात हजार पाँच सौ (7500/–) रूपये
(ख)	"	यदि विक्रय का स्थान ग्रामीण क्षेत्र में है।	विनिर्दिष्ट फीस के पाँचवे भाग अर्थात प्रत्येक कीटनाशी के लिए एक सौ रूपये एवं सभी कीटनाशी के लिए पन्द्रह सौ रूपया।
vii	नियम 10 के उप नियम (3) के स्थान पर उप नियम (3क) अन्तः स्थापित।	नाशक जीव नियंत्रण ऑपरेटर के लिए।	प्रत्येक स्थान के लिए एक हजार रूपये (1000/–)
viii	नियम 10 के उप नियम (6) के अधीन जारी अनुज्ञप्ति के लिए	अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के लिए	एक सौ रूपये (100/–)
ix(क)	नियम 11 के उपखण्ड ख (i) के तहत।	कीटनाशी विनिर्माण / नाशक जीव नियंत्रण से संक्रियायें के विलम्ब शुल्क	प्रथम माह पाँच सौ रूपये, दूसरे माह एक हजार रूपये, तीसरे माह एक हजार पाँच सौ रूपये।
(ख)	नियम 11 के उप खण्ड ख (ii) के तहत।	कीटनाशी विक्रय/भंडार/ प्रर्दशन के लिए विलंम्ब शुल्क	प्रथम माह एक सौ रूपये, (100/–) दूसरे माह दो सौ रूपये (200/–) तीसरे माह तीन सौ रूपये (300/–)

(ग)		ग्रामीण क्षेत्र के लिए, मुख्य नाशक जीव नियंत्रण संक्रिय एकक या विक्रय का स्थान ग्रामीण क्षेत्र के लिए देर फीस	उक्त दर फीस का पाँचवा भाग

नोटः– यदि अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु या निःशक्तता होने की दशा में अनुज्ञापन अधिकारी लिखित कारणों को अभिलेख करने के पश्चात आवेदक को देर–फीस के संदाय से छुट दे सकेगा।

कीटनाशी के अनुज्ञापन पदाधिकारी/कीटनाशी निरीक्षक, कीटनाशी विनिर्माताओं एवं कीटनाशी विनिर्माताओं के विपणन कर रहे प्रतिनिधि, कीटनाशी सी0एण्ड एफ0 तथा कीटनाशी के विक्रेता कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना के असाधारण अंक जो 20 मई 1999 के द्वारा प्रकाशित कीटनाशी शुल्क में संशोधन से संबंधित संशोधन का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगें।

ह0/–
कृषि निदेशक, बिहार, पटना
–सह– कीटनाशी नियंत्रक, बिहार,

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3831 /कृ0, पटना, दिनांक ....08 सितम्बर, 2016

प्रतिलिपि– (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/सभी संयुक्त नेदेशक (शष्य)/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8.9.16
(मु0 नईम अशरफ)
संयुक्त निदेशक,(शष्य) उपादान
कृषि निदेशालय,बिहार, पटना।